मध्य प्रदेश में 3,500 'पिंक' बूथ स्थापित होंगे

चर्चा में क्यों?

राज्य में लगभग **3,500 'पिंक' बूथ** स्थापित किये जाने की उम्मीद है, जिनका प्रबंधन विशेष रूप से **महिला सरकारी कर्मियों** द्वारा किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- **मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की 29 सीटों** के लिये चार चरणों में **19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई** को मतदान होगा तथा मतों की गिनती 4 जून को होगी।
- **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)** अनुपम राजन के अनुसार, राज्य में **2.90 करोड़ पुरुष, 2.74 करोड़ महिला और 1,228 तृतीय लिंग** मतदाताओं सहित 5.64 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।
    - इसके अलावा, 118 विदेशी मतदाता और 74,835 सेवा मतदाता (सीमाओं और अन्य स्थानों पर तैनात सेना के जवान) हैं, जिससे मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5.65 करोड़ से अधिक हो गई है।
    - **वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव** में मतदान प्रतिशत **77.82%** था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951** की धारा 20 के अनुसार,किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन निर्वाचन कार्य की निगरानी के लिये अधिकृत है।
- **भारत का निर्वाचन आयोग उस राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन** के परामर्श से सरकार के एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/madhya-pradesh-to-have-3500-pink-booths